बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं09/सा0आ0–21/2003 /स्वा0/पटना,दिनांक /

डा0 बालेश्वर चौधरी, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) पटना, बिहार के ज्ञापांक 124 दिनांक 25.07.2003 समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2001–02 को दरम्यान उनके पदस्थापन काल में कुल 40367.40 (चालीस हजार तीन सौ सड़सठ रूपए, चालीस पैसे) की दवाक्रय में अधिक भुगतान करने, आवंटन से 66.460/– (छियासठ हजार चार सौ साठ रूपए) की अधिक निकासी करने तथा 1,88,002/– (एक लाख अट्ठासी हजार दो रूपए) का अनियमित व्यय करने के आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय संकल्प सं0 421(9) दिनांक 30.03.2005 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा डा0 बालेश्वर चौधरी के विरूद्ध आरोपों को निष्कर्षतः प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया तथा लंबित कंडिकाओं के संबंध में महालेखाकार से मंतब्य प्राप्त करने हेतु सुझाए दिया गया। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के पत्रांक आई0सी0–II/84–01–02/217 दिनांक 26.08.08 के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 84/01–02 की कंडिका 1 ख, 2 एवं 4 को यथावत रखे जाने का प्रतिवेदन दिया गया है। इन कंडिकाओं में कुल 2,68,212/– (दो लाख अड़सठ हजार दो सौ बारह रूपए) की राशि निहित है। अधिगम तथा महालेखाकार के उपर्युक्त पत्र की प्रति प्रेषित करते हुए डा0 चौधरी से विभागीय पत्रांक 539(9) दिनांक 26.06.2015 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई, जिसका प्रत्युतर उनके द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी समर्पित नहीं किया गया।

अतः आरोप, अधिगम तथा महालेखाकार के मंतब्य की सम्यक समीक्षोपरांत डा0 चौधरी के पेंशन/उपादान से कुल 2,68212/– (दो लाख अड़सठ हजार दो सौ बारह रूपए) की कटौती करने एवं 05 (पॉच) वर्षो तक पेंशन से 10% राशि की कटौती करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन तथा बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना के पत्रांक 2245 दिनांक 14.12.15 द्वारा आयोग की सहमति प्राप्त है।

अतः डा0 बालेश्वर चौधरी, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उनके पेंशन/उपादान से कुल 2,68,212/- (दो लाख अड़सठ हजार, दो सौ बारह रूपए) की कटौती करने एवं 05 पॉच वर्षो तक पेंशन से 10% राशि की कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक: 1109 (9) /स्वा0, पटना, दिनांक: 31/12/2015

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- डा0 बालेश्वर चौधरी, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया संप्रति सेवानिवृत पता-हाउसिंग कॉलोनी एच0आई0जी0 नं0-17, धनवाद (गोल्फ मैदान के निकट) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31.12.15

सरकार के अवर सचिव

Sweta/Health/Notification- 14-05-12